फाइल सं0 9(1)2016/14वीं सीएसी/एन्फ/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

प्रवर्तन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की आयोजित 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 14वीं बैठक का आयोजन दिनांक 4 जून, 2015 को गुलमोहर हॉल, इण्डिया हेबीटेट सेन्टर, नई दिल्ली में किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची **अनुबंध-1** पर दी गई है।

2. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी निदेशक 11.00 बजे से बैठक में अन्य आवश्यक कार्यों के चलते शामिल हो सके। सहायक निदेशक, प्रवर्तन श्री संजय गुप्ता ने केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा निदेशक, प्रवर्तन श्री राकेश चन्द्र शर्मा जी को आगे की कार्यवाई हेतु आमंत्रित किया। निदेशक, प्रवर्तन ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा कार्यसूची के अनुसार बैठक प्रारम्भ हुई।

14.1 **हितों की घोषणा**

सदस्यों ने हितों की घोषणा का फार्म भरा और भाखासंमाप्रा के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत किया।

14.2 मद सं0 2

सीएसी की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

सीएसी की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और उसे अंगीकार किया गया।

14.3 **मद सं0 3**

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

3.1 दिनांक 08.01.2015 को हुई सीएसी की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई।

3.2 श्री आई.एन.मूर्ती, महाप्रबंधक, एनआईएसजी के द्वारा खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था (एफएलआरएस) पर एक प्रस्तुती प्रस्तुत की गई। यह प्रस्तुती कितने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाईन खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था को लागू कर दिया है, कितने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के कार्मिकों को एनआईएसजी के द्वारा रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, खाद्य व्यापारकर्ताओं को अनुज्ञप्ति देने में अभिहित अधिकारियों, प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा लिया जाने वाले समय का सांख्यकीय डाटा पर आधारित थी। इस प्रस्तुती के माध्यम से यह बात सामने निकलकर आई कि अब तक 95% से अधिक प्रार्थना पत्रों को लाईसेन्स में परिवर्तित किया जा चुका है। श्री मूर्ती ने यह दोहराया कि जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां पर ऑनलाईन खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था को लागू कर दिया है यदि उनको रिफ्रेशर प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो एनआईएसजी उन्हें यह प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। उन्होने यह भी कहा कि ई-ट्रेजरी को एफएलआरएस के साथ एकीकरण के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश एनआईएसजी से सीधे सम्पर्क कर सकते है।

कार्यसूची14.4

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का प्रवर्तन

4.1 निदेशक, प्रवर्तन ने गोवा राज्य में अपीलीय ट्रिब्युनल की स्थापना का मामला उठाया गया इस पर यह बताया गया कि गोवा सरकार ने अलग से खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्युनल (एफसैट) बनाने के लिए निर्णय ले लिया गया है।

4.2 निदेशक,प्रवर्तन ने यह सूचित किया कि जैसा कि प्राधिकरण से विधिक राय प्राप्त होने पर, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 70 के अनुसार राज्यों के लिए खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्युनल (एफसैट) बनाना अनिवार्य है। हालांकि राज्य सरकारें खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्युनल (एफसैट) को किसी दूसरे कानून के तहत स्थापित किसी दूसरे ट्रिब्यूनल में विलय कर सकती हैं परन्तु खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्युनल (एफसैट) बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत आवश्यकताओं के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया हो तथा राज्य सरकार पूर्ण रुप से सन्तुष्ट हो कि खाद्य संरक्षा अपीलीय ट्रिब्युनल (एफसैट) किसी अन्य कानून के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल के तहत कार्य करने में कोई भी कानूनी बाधा नहीं हो।

4.3 आगे, पिछली सीएसी बैठक में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा स्थापित प्रचालन समिति में उपभोक्ता संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने के संबंध में एक निर्णय लिया गया था इस निर्णय पर की गई कार्रवाई पर उत्तर देते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल राज्यों ने अपनी-अपनी प्रचालन समितियों में उपभोक्ता संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया है। इस बिन्दु पर यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें ऐसा उनके विवेकानुसार करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

कार्यसूची14.5

खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति

5.1 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को लाईसेन्स/पंजीकरण एवं प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के साथ वर्ष 2014-15 की वार्षिक एवं अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट के साथ नियमित आधार पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए कहा।

5.2 यह भी सलाह दी गई की राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक विशेष श्रेणी 'पैक खाद्य' पर विशेष ध्यान दें जिन को कि किशोर एवं बच्चे अधिक खाते हैं। इस रिपोर्ट में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा स्थापित सरकारी तंत्र का संक्षिप्त ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।

कार्यसूची 14.6

खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था (एफएलआरएस) का कार्यान्वयन

6.1 इस कार्यसूची पर एनआईएसजी के द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में विस्तार से चर्चा कार्यसूची 3 एवं 4 में की जा चुकी है।

6.2 कार्यपालक निदेशक, (स्वास्थ), रेलवे मंत्रालय, ने एनआईएसजी का सहयोग खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था (एफएलआरएस) को लागू करने के लिए मांगा। इस पर सहायक निदेशक, (प्रवर्तन) ने कुछ जानकारी रेलवे से मांगी जैसे अभिहित अधिकारियों एवं उनके कार्यक्षेत्र के बारे में, परन्तु उक्त सूचना अभी तक रेलवे से प्राप्त नहीं हुई है। श्री संजय गुप्ता जी ने कहा कि अभिहित अधिकारियों एवं उनके

कार्यक्षेत्र का ब्यौरा प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके लिए अनुस्मारक भेजना आवश्यक है तथा इस पर यह निर्णय लिया गया कि इस मसले पर अलग से चर्चा की जाएगी।

6.3 खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था (एफएलआरएस) को लागू करने में शेष राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से त्रिपुरा राज्य ने यह सूचित किया कि इसकी प्रक्रिया पूर्ण करली गई है। ओडिशा राज्य ने यह वादा किया कि इस वर्ष की द्वितीय तिमाही की समाप्ती से पहले वह खाद्य लाईसेन्स एवं पंजीकरण व्यवस्था (एफएलआरएस) को लागू कर देगा।

कार्यसूची 14.7

पंचायतों एव नगर पालिका क्षेत्रों की छोटी दुकानों तथा प्रतिष्ठानों, मीट तथा पोल्ट्री दुकानों, बुचडखानों एवं कसाईखानों के लिए खाद्य संरक्षा योजना

7.1 कुछ सदस्यों ने यह महसूस किया कि इस उद्देश्य के लिए बनाया गया खाद्य संरक्षा योजना का प्रारुप काफी सामान्य है जिसे कि विशेषज्ञों की मदद से और भी अधिक बेहतर तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

7.2 सदस्यों की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी सीएसी के सदस्यों को यह अनुरोध किया कि वे इस प्रारुप खाद्य संरक्षा योजना पर अपनी टिप्पणियां 15 दिनों में प्रस्तुत करें।

7.3 मुकाअ, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य संरक्षा आयुक्तों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने अपने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में बुचडखानों एवं कसाईखानों को वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर विनियमित करने के लिए नये एवं अभिनव विचारों के साथ आगे आएं तथा इस विषय पर वे अपने शहरी तथा ग्रामीण प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करें जिस से कि इस विषय पर अनुपालित की जा रही सर्वश्रेष्ठ रीतियों को साझा किया जा सके।

7.4 मुकाअ, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आगे यह भी कहा कि स्ट्रीट खाद्य विक्रेताओं की कार्यकरने की परिस्थितियों में सुधार जैसे चिन्हित स्थानों की पहचान करना, उपयुक्त प्लेटाफॉर्म का निर्माण, पानी की उपलब्धता तथा कचरे का उचित निपटान इत्यादि बहुत हद तक स्थानीय प्रशासन जैसे नगर पालिका, पंचायत इत्यादि पर निर्भर करता है। उन्होंने खाद्य संरक्षा आयुक्तों से यह भी अनुरोध किया कि वे इस संबंध में स्थानीय प्रशासन जैसे नगर पालिका, पंचायत इत्यादि से चर्चा कर इस मामले पर जितना संभव हो सके शीघ्र पहल करें।

कार्यसूची14.8

जब्त/सीज किये गये खाद्य का निपटान

8.1 इस मद पर चर्चा की गई तथा जमीनी हकीकत तथा कानूनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुऐ, मुकाअ ने इस पर खाद्य संरक्षा आयुक्तों की एक समिति बनाने पर जोर दिया जो इस मामले पर अध्ययन कर अपनी संतुतियां तथा दिशा-निर्देश प्रस्तुत करे। समस्या के इस समाधान पर सभी सदस्य सहमत हुए।

8.2 खाद्य संरक्षा आयुक्तों की सहमती से इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु खाद्य संरक्षा आयुक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एवं उत्तर प्रदेश की सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया।

14.9

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

9.1 समिति के समक्ष भाखासंमाप्रा के द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे खाद्य संरक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, खाद्य संरक्षा अधिकारियों के लिए क्रेश कोर्स,

नवाचार प्रशिक्षण, तकनीकी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, तथा प्रशिक्षण के नामित संस्थान इत्यादि की स्थिति के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया।

9.2 नये भर्ती किये गये अधिकारियों के साथ-साथ प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के नाम नवाचार प्रशिक्षण हेतु

नामांकित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया।

9.3 प्रशिक्षण के बिन्दु पर चर्चा के दौरान श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने समिति को यह सूचित किया कि भारतीय फसल प्रस्संकरण तकनीक संस्थान (आईआईसीपीटी), तमिलनाडू तथा राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता तथा प्रबंधन (निफटेम), हरियाणा, को संबंधित राज्यों के द्वारा प्रशिक्षण के उद्धेश्य से उपयोग किया जा सकता है।

9.4 डॉ.अमितावा दत्ता, कार्यपालक निदेशक, रेलवे मंत्रालय, ने सिमति को सूचित किया कि रेलवे की ओर से अलग से खाद्य संरक्षा विभाग बनाने के लिए एक प्रस्ताव किया गया है। उनहोंने पूछा कि क्या रेलवे वर्तमान स्वास्थ निरिक्षकों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के तौर पर उनकी सेवाएं ले सकती है। इस पर उनसे अनुरोध किया गया कि वे इस आशय को एक स्वस्पष्ट प्रस्ताव विचार हेतु भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को प्रेषित करें।

कार्यसूची 14.10

कैसिया को दालचीनी के रुप में गलत तरीके से दर्शाये जाने को जांचना तथा घरेलु बाजार में इसकी निगरानी

इस कार्यसूची को समिति ने पूर्ण रुप से नोट किया। सभी खाद्य संरक्षा आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने राज्यों में निगरानी कार्यक्रम चलाएं तथा कैसिया को दालचीनी के रुप में गलत तरीके से दर्शाये जाने की जांच तथा घरेलु बाजार में इसकी निगरानी के लिए अभियान चलाएं।

कार्यसूची 14.11

भारत में सुपारी उत्पादों का आयात

इस कार्यसूची को समिति ने पूर्ण रुप से नोट किया। सभी खाद्य संरक्षा आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने राज्यों में निगरानी कार्यक्रम चलाएं ताकि फंगस युक्त तथा निम्न श्रेणी की सुपारी की बिक्री को घरेलु बाचार में कम किया जा सके।

कार्यसूची 14.12

खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की स्थिति रिपोर्ट

12.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह सूचित किया कि भुगतान, दस्तावेजों इत्यादि की प्रक्रिया को सरल बनाकर खाद्य व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को उपयोगकर्ता के लिए अधिक सुगम बनाने का एक प्रयास किया गया था।

12.1 फिक्की ने इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जिस पर प्रतिक्रिया देते हुऐ मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय ने समिति को बताया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन करने के लिए खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। फिर भी, उन्होनें सभी सदस्यों को इस बिन्दु पर अपने विचार एवं टिप्पणियां 15 दिन में देने के लिए अनुरोध किया।

कार्यसूची 14.13

खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची में संशोधन

13.1 यह कार्यसूची केन्द्रिय सलाहकार समिति की सूचना हेतु थी।

13.2 खाद्य संरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल ने सुझाव दिया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में संबंधित श्रेणी के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क से संबधित अनुसूची-3 के समानांतर स्थानातंरण को स्पष्ट किया जाए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि इस बिन्दु को विनियम में विस्तृत संशोधन के समय हल कर लिया जाएगा।

कार्यसूची 14.14

भारत में व्यापार विकास के लिए क्षमता निर्माण पहल (सीआईटीडी)

यह कार्यसूची केन्द्रिय सलाहकार समिति के सदस्यों के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत की गई। इस संबंध में विस्तार से चर्चा कार्यसूची संख्या 14.9 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा की जा चुकी है।

कार्यसूची 14.15

भारतीय मानकों का कोडेक्स तथा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के साथ समानीकरण

यह कार्यसूची केन्द्रिय सलाहकार समिति के सदस्यों के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत की गई तथा इस कार्यसूची को समिति ने पूर्ण रुप से नोट किया।

कार्यसूची 14.16

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई कार्यसूची

16.1 खाद्य संरक्षा आयुक्त, केरल ने यह आग्रह किया कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण केरल राज्य के द्वारा तमिलनाडू से आयात की जा रही सब्जियों एवं फलों पर अनियंत्रित तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग करने के मामले में हस्तक्षेप करे। इस संबंध में खाद्य संरक्षा आयुक्त, केरल ने उस समिति की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जिसे कि तमिलनाडू में भारी मात्रा में सब्जियों एवं फलों पर अंधाधुंध तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग करने के मामले की जांच करने के लिए गठित किया गया था। रिपोर्ट यह कहती है कि तमिलनाडू में भारी मात्रा में सब्जियों एवं फलों पर अंधाधुंध तरीके से हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है तथा इन हानिकारक फलों एवं सब्जियों को केरला द्वारा आयात एवं उपभोग किया जाता है। इस पर यह सहमति बनी की इस संबंध में तमिलनाडू राज्य के खाद्य संरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट के निष्कर्ष एवं इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में एक पत्र प्रेषित किया जाएगा।

16.2 खाद्य संरक्षा आयुक्त, केरल ने खरगोशों के वध का भी मामला उठाया जिसे कि राज्य सरकार भी प्रोत्साहित कर रही हैं तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद एवं खाद्य सहयोज्य) अधिनियम, 2011 में आवश्यक प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस मामले को पशुपालन विभाग, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, के साथ चर्चा की गई है।

16.3 खाद्य संरक्षा आयुक्त, केरल ने यह भी मुद्धा उठाया कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 35 के अनुसार

परन्तु यह समिति को यह सूचित किया गया कि स्थानीय पंजीकृत चिकित्सकीय डॉक्टर ऐसी कोई भी खाद्य विषाक्तता की जानकारी खाद्य संरक्षा, केरल को प्रदान नहीं कर रहे हैं। इस पर यह बताया गया कि एकीकृत रोग निगरानी योजना (आईडीएसपी) के अन्तर्गत एक केन्द्रियकृत राज्य आधारित निगरानी कार्यक्रम विस्तृत रिपोर्ट विभिन्न बीमारियों के लिए अलर्ट के साथ-साथ खाद्य जनित बीमारियों जैसे खाद्य विषाक्तता, तेज दस्त इत्यादि के प्रतिशत सहित जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसी जानकारी को अलग से राज्यों को परिपत्रित कर दी जाएगी।

बैठक में उठाए गये कार्य बिन्दु

<u>बैठक में विचार विमर्श के आधार पर निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर कार्रवाई प्रस्तावित है</u>-

क. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए कार्यबिन्दु

1. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को खाद्य संरक्षा योजना प्रारुप के लिए अपने मूल्यवान सुझाव 15 दिनों में प्रस्तुत करने चाहिए।
2. खाद्य संरक्षा आयुक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एवं उत्तर प्रदेश की सदस्यता में एक समिति का गठन जब्त/सीज किये गये खाद्य का निपटान करने की प्रक्रिया को सामान्य रीतियों पर आधार पर अन्तिम रुप देने के लिए किया गया।
3. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन के लिए अपने सुझाव 15 दिनों में प्रस्तुत करने चाहिए।
4. राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा नये भर्ती किये गये अधिकारियों के साथ-साथ प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के नाम नवाचार प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाएंगे।

ख. भाखासंमाप्रा के लिए कार्यबिन्दु

1. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के द्वारा स्थापित प्रचालन समिति में उपभोक्ता संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र प्रेषित किया जाएगा।

2. केरला राज्य के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर मुख्य खाद्य संरक्षा आयुक्त को एक पत्र प्रेषित करना।

3. रेलवे मंत्रालय को उनके अभिहित अधिकारियों तथा उनके अधिकार क्षेत्र की जानकारी के लिए एक अनुस्मारक पत्र प्रेषित करना

बैठक का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुआ।

राकेश सी.शर्मा
निदेशक, प्रवर्तन

यदुवीर मलिक
मु.का.अ, भाखासंमाप्रा तथा अध्यक्ष, के.स.स

बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची

1. श्री वाई.एस.मलिक, मुख्य कार्यपालक, अधिकारी, एफएसएसएआई
2. श्री राकेश चन्द्र शर्मा, निदेशक (प्रवर्तन/सा0प्र0),एफएसएसएआई
3. श्री बिमल कु. दुबे, निदेशक (आयात/आईईसी/आईसी/ईएंडए),एफएसएसएआई
4. डा. संध्या काबरा, निदेशक (विधि/उत्पाद अनुमोदन/ गुणवत्ता आश्वासन),एफएसएसएआई
5. डा. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक),एफएसएसएआई
6. श्री टी.डी.प्रशांत राव, उप निदेशक(वित्त),एफएसएसएआई
7. श्री संजय गुप्ता, सहायक निदेशक(प्रवर्तन),एफएसएसएआई
8. श्री पी.कार्तिकेयन, सहायक निदेशक(गुणवत्ता आश्वासन),एफएसएसएआई
9. श्री एस.अनूप, सहायक निदेशक(प्रवर्तन), एफएसएसएआई
10. श्री एस.मीणा, सहायक निदेशक(सामान्य प्रशासन),एफएसएसएआई
11. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12. श्री कुमार अनिल, मुख्य, खाद्य और कृषि, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों के विभाग
13. डा. अमितवा दत्ता, कार्यकारी निदेशक, रेल मंत्रालय
14. श्री दीपांकर भट्टाचार्य, उपनिदेशक, सीआईबी एवं आरसी, कृषि मंत्रालय
15. श्री मोहन लाल, निदेशक, कृषि मंत्रालय
16. श्री आर.के. गुप्ता, डीसी(डीडी), कृषि मंत्रालय
17. श्री सी. चिन्नप्पा, निदेशक, पंचायती राज मंत्रालय
18. डा. जे.एच. पनवाल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
19. श्री ए.के. जैन, निदेशक, उपभोक्ता मामलों के विभाग
20. श्री जी.सी. राउत, उपन निदेशक, उपभोक्ता मामलों के विभाग
21. श्री एस.के. पाण्डे, सहायक निदेशक, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
22. डा. अवीजीत रॉय, ओएसडी (एफएस), अण्डमान निकोबार
23. श्रीमती इंदिरा मालों, खाद्य संरक्षा आयुक्त, अरूणाचल प्रदेश
24. श्री सुखविदर सिंह, डीओ, चंडीगढ़
25. डा. के.वाई. सुल्ता, अभिहित अधिकारी, दमन एंड दीव
26. श्री के.के.जिंदल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
27. श्री सुनीति कुमार गुप्ता, डीओ, दिल्ली
28. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियम, हिमाचल प्रदेश

29. श्री नाजिर अहमद कलोरी, नियंत्रक, जम्मू एंड कश्मीर
30. डा. एच.एस. शिवकुमार, संयुक्त निदेशक, कर्नाटक
31. श्रीमती अनुपम टी.वी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
32. श्री पंकज अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मध्यप्रदेश
33. श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, संयुक्त नियंत्रक, मध्यप्रदेश
34. डा. हरदीप काबले, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र
35. श्री गणेश परिकर, सहायक आयुक्त, महाराष्ट्र
36. डा. के रूपारी, प्रधान निदेशक, मिजोरम
37. सुश्री लालरिककीमी पंचम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मिजोरम
38. श्री बाबाजी चरण दास, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ओडिसा
39. डा. एच.एस. बाली, संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, पंजाब
40. डा. आदित्य अटेरा, अभिहीत अधिकारी, राजस्थान
41. श्री बी.बी. राय, अतिरिक्त आयुक्त, सिक्किम
42. श्री सुरेश चंद्र, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तेलगाना
43. डा. बराज दुलाल शाह, निदेशक खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तिरूपुरा
44. श्री अनुज थपलियाल, अभिहीत अधिकारी, उत्तराखंड
45. श्री पी.के. सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तरप्रदेश
46. श्री विजय बहादुर, सहायक खाद्य आयुक्त, उत्तरप्रदेश
47. श्रीमती गोधुली मुखर्जी, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
48. श्री प्रदीप चौरदिया, एम.डी.चौरदिया खाद्य, पुणे
49. श्री जार्ज चेरीयन, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय कट्स जयपुर
50. डा. एस.पी.वसीरदई, कार्यकारी अध्यक्ष, वीमटा लैब, हैदराबाद
51. सुश्री पिंकी अग्रवाल, अनुसंधान सहायक, फिक्की, दिल्ली
52. श्री आई.एन. मुर्थी, महाप्रबंधक, एनआईएसजी, हैदराबाद

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा एफएसएस एक्ट के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण

क्रम.सं.	राज्यों के नाम	एफएससी	एओ की संख्या	डीओ की संख्या	एफएसओ की संख्या	खाद्य विश्लेषक की संख्या	संचालन समिति	न्यायाधिकरण
1.	अण्डमान एवं निकोबार दीपसमूह	1	3	3	18	1	हॉ	हॉ
2.	आध्रप्रदेश	1	13	17	34	8	हॉ	नहीं
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	20	20	3	Nil	हॉ	हॉ
4.	असम	1	27	5	40	1	हॉ	हॉ
5.	बिहार	1	36	9	14	Nil	नहीं	नहीं
6.	चंडीगढ	1	1	2	2	Nil	हॉ	हॉ
7.	छत्तीसगढ़	1	27	27	10	2	नहीं	हॉ
8.	दादर एवं नागर हवेली	1	1	1	1	Nil	नहीं	नहीं
9.	दमन एंव दीव	1	2	2	3	Nil	हॉ	हॉ
10.	दिल्ली	1	11	9	12	2	हॉ	हॉ
11.	गोवा	1	2	2	11	2	नहीं	नहीं
12.	गुजरात	1	33	32	210	10	नहीं	हॉ
13.	हरियाणा	1	21	21	12	3	नहीं	हॉ
14.	हिमाचल प्रदेश	1	10	13	9	1	हॉ	हॉ
15.	जम्मू कश्मीर	1	22	25	87	2	हॉ	नहीं
16.	झारखंड	1	24	24	202	1	हॉ	नहीं
17.	कर्नाटक	1	30	36	68	9	नहीं	नहीं
18.	केरल	1	19	14	66	7	हॉ	हॉ
19.	लक्ष्यद्वीप	1	1	1	15	Nil	नहीं	हॉ
20.	मध्यप्रदेश	1	51	51	179	3	हॉ	हॉ

21.	महाराष्ट्र	1	7	62	298	23	हॉ	हॉ
22.	मणीपुर	1	9	9	9	1	हॉ	नहीं
23.	मेघालय	1	7	3	7	1	हॉ	हॉ
24.	मिजोरम	1	9	3	12	Nil	हॉ	नहीं
25.	नागालैण्ड	1	11	11	11	1	हॉ	नहीं
26.	ओडिसा	1	34	37	26	1	नहीं	नहीं
27.	पद्दुचेरी	1	2	1	2	1	हॉ	नहीं
28.	पंजाब	1	11	20	45	2	हॉ	हॉ
29.	राजस्थान	1	48	42	87	6	हॉ	नहीं
30.	सिक्किम	1	4	2	2	Nil	नहीं	नहीं
31.	तमिलनाडु	1	32	32	503	6	हॉ	नहीं
32.	तेलगांना	1	10	15	20	3	हॉ	नहीं
33.	त्रिपुरा	1	9	9	4	1	हॉ	हॉ
34.	उत्तराखंड	1	13	13	30	1	हॉ	हॉ
35.	उत्तरप्रदेश	1	75	38	229	3	हॉ	हॉ
36.	पश्चिम बंगाल	1	19	19	43	2	हॉ	नहीं
		36	654	630	2324	104		